



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

फोन : 0141-25150936 फैक्स : 0141 - 2705067

Website: <http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail: rajsthansos@gmail.com

क्रमांक : प. 10 (31) परीक्षा / 2015-16 / 800-32

दिनांक:- 05.04.16

उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम/द्वितीय)
माध्यमिक शिक्षा

~~समस्त राजस्थान~~

विषय:- परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण में वाहन व्यवस्था।

परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण एवं वाहन की व्यवस्था के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक प. 10 (13) परीक्षा 2012-13/50208-215 दिनांक 11.09.2013 में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि निरीक्षण दल हेतु वाहन का उपयोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की भांति किया जावेगा।

इस क्रम में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं की अवधि में आप अपने जिले में निम्न व्यवस्था के अनुसार परीक्षा केन्द्रों का सुदृढ़ निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण हेतु वाहनों का उपयोग-

निरीक्षण हेतु उपनिदेशक माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर वाहन (टैक्सी) का उपयोग किराये पर लेकर कर सकेंगे। इस हेतु वाहन (कार टैक्सी Non A.C.) की दरें निम्न प्रकार होंगी।

अधिकतम 8.25 रु प्रति कि.मी. (सभी करों एवं टोल टैक्स सहित)
टैक्सी के रूप में प्रयुक्त वाहन का बिल प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

यदि निरीक्षण दल के संयोजक/सदस्य द्वारा अपना एक निजी वाहन उपयोग में लिया जाता है तो वाहन का अधिकतम 7.70 रु प्रति कि.मी. (सभी करों एवं टोल टैक्स सहित) की दर से देय होगा।

प्रत्येक दल में संयोजक के अतिरिक्त दो सदस्य रहेंगे।

संयोजक - उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

संयोजक द्वारा मनोनीत दो सदस्य - प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक/ व्याख्याता/ वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा)

उक्त दल को राजस्थान सरकार के नियमानुसार देय दैनिक भत्ता के अतिरिक्त संयोजक को 100 रु तथा सदस्यों को 80-80 रु मानदेय देय होगा। एक परीक्षा केन्द्र पर अधिकतम दो बार ही निरीक्षण किया जा सकता है। भुगतान राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा किया जावेगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सहायक निदेशक (लेखा) RSOS जयपुर।
2. कार्यालय प्रति।

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर

सहायक निदेशक (परीक्षा)
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

एकलव्य भवन

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

फोन : 0141-5150936 फैक्स : 0141 - 2705067

website : <http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail : rajasthansos@gmail.com

परीक्षा केन्द्र - निरीक्षण प्रपत्र

1. निरीक्षक का पूरा नाम, पद व पता
.....
फोन नम्बर कार्यालय फोन नम्बर निवास Mobile
2. (I) केन्द्र का पूरा नाम जिसका निरीक्षण
किया गया।
(II) केन्द्र पर पहुंचने की दिनांक व समय
3. केन्द्राधीक्षक का नाम
4. केन्द्र पर्यवेक्षक का नाम
5. परीक्षा विषय पंजीकृत परीक्षार्थियों उपस्थित/अनुपस्थित योग
का नाम की संख्या
6. (अ) कक्षा - कक्षा की संख्या (ब) परीक्षार्थियों की संख्या
(स) क्या परीक्षार्थियों के बैठने की
व्यवस्था निर्देशानुसार है ?
7. (अ) केन्द्र पर नियुक्त वीक्षकों की संख्या
(ब) पर्यवेक्षकों की संख्या
(स) क्या वीक्षक/पर्यवेक्षक व्यवस्था
8. (अ) क्या वीक्षण कार्य सन्तोषजनक रूप
से हो रहा है ?
(ब) क्या परीक्षा के दिन सम्बन्धित विषय
का अध्यापन कराने वाले अध्यापक को
वीक्षण, पर्यवेक्षण कार्य सौंपा गया है ?
9. (अ) क्या केन्द्राधीक्षक, पर्यवेक्षक व वीक्षक
पूर्णतः सतर्क है ?
(ब) क्या केन्द्राधीक्षक ने अब तक केन्द्र पर
बमाये गये अनुचित साधन के प्रकरण
पुलिस में दर्ज करवाकर उन्हें
आर.एस.ओ.एस को भेज दिया है ?

10. (अ) क्या प्रश्न - पत्रों के लिफाफे
निर्देशानुसार ही खोले गये हैं ?

(ब) प्राप्त प्रश्न पत्र संख्या

वितरित

शेष

(स) क्या अप्रयुक्त प्रश्न पत्रों के लिफाफों

को अन्य सामान से अलग स्वतंत्र

आलमारी में सुरक्षित रखा जाता है ?

11. क्या स्थानीय उड़न दस्ता गठित कर जांच.....
कराई गई है।

12. क्या बाह्य उड़न दस्ते द्वारा अब तक
कोई निरीक्षण किया गया ?

13. क्या केन्द्र पर परीक्षार्थियों की सीट
टेबल्स, ज्योमिती बॉक्स व जेबों की

समय - समय पर तलाशी ली जाती है ?

14. क्या छात्रों के लिए पेशाबघर परीक्षा कक्ष
के सामने नियत किये हैं व निगरानी

रखी जाती है ?

15. क्या केन्द्र पर सार्वजनिक बाधा अथवा
उपद्रव की कोई घटना हुई है यदि हां

तो उसके निवारण हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ?

16. केन्द्र के सम्बन्ध में सामान्य सम्मति.....

17. सतर्कता पर्यवेक्षक का नाम/पद एवं कार्यरत स्थान.....

दिनांक

निरीक्षक के हस्ताक्षर